

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

भादूविप्रा (TRAI) ने शुरू की भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंकों के साथ मिलकर डिजिटल सहमति प्रबंधन के लिए पायलट परियोजना।

नई दिल्ली, 16 जून 2025: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देखा है कि उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली स्पैम शिकायतों में बड़ी संख्या उन व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ होती हैं, जिनसे उपभोक्ताओं ने पहले उत्पाद या सेवाएं खरीदी थीं। जांच में यह पाया गया है कि ऐसी संस्थाएं अक्सर दावा करती हैं कि उन्हें उपभोक्ता की व्यावसायिक कॉल और संदेश प्राप्त करने की सहमति प्राप्त है।

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम (TCCCPR), 2018 के तहत, यदि किसी संस्था ने उपभोक्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त कर ली है, तो वह उपभोक्ता की "डू नॉट डिस्टर्ब (DND)" प्राथमिकताओं के बावजूद उससे व्यावसायिक संचार कर सकती है। हालांकि, कई मामलों में ये सहमतियाँ ऑफलाइन या अप्रमाणिक तरीकों से प्राप्त की गई थीं, जिससे उनकी वैधता और प्रामाणिकता की पुष्टि करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अनेक मामलों में उपभोक्ताओं ने रिपोर्ट किया है कि उनके मोबाइल नंबर धोखे, झूठे प्रतिनिधित्व या अनधिकृत डेटा-साझाकरण के माध्यम से प्राप्त किए गए।

भादूविप्रा (TRAI) ने हाल के वर्षों में ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई नवाचारपूर्ण नियामकीय उपाय किए हैं। इनमें बिना पूर्व DND पंजीकरण के भी उपभोक्ताओं को अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (UTMs) के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति देना और स्पैम गतिविधियों में दुरुपयोग किए जा रहे दूरसंचार संसाधनों को बड़े पैमाने पर बंद करना शामिल है। फिर भी, उपभोक्ता की ऑफलाइन सहमति का हवाला देकर व्यावसायिक संचार के लिए सहमति का सत्यापन करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

इस समस्या के समाधान के लिए, विनियमों में यह प्रावधान है कि संस्थाएं डिजिटल रूप से उपभोक्ता की सहमति प्राप्त करें और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSPs) द्वारा बनाई हुई एक सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल सहमति रजिस्ट्री में इसे पंजीकृत करें ताकि व्यावसायिक संचार के समय इस सहमति को आसानी से सत्यापित किया जा सके। हालांकि, इस प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए उन संस्थाओं का इस फ्रेमवर्क में शामिल होना आवश्यक है जो व्यावसायिक संचार भेजती हैं।

इसी के तहत, TRAI ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ समन्वय करके चयनित बैंकों को शामिल करते हुए एक पायलट परियोजना शुरू की है और 13 जून 2025 को सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को एक निर्देश जारी कर उन्हें बैंकों के साथ मिलकर इस फ्रेमवर्क का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। बैंकिंग लेनदेन की संवेदनशीलता और स्पैम

कॉल के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र को इस पायलट परियोजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है। यह पायलट 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' फ्रेमवर्क के तहत संचालित किया जा रहा है, जो उन्नत सहमति पंजीकरण कार्य (CRF) के संचालनात्मक, तकनीकी और नियामकीय पहलुओं का परीक्षण करेगा और डिजिटल सहमति पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रवार विस्तार की नींव रखेगा।

भादूविप्रा (TRAI) उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और वैध व्यावसायिक संचार में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण अन्य क्षेत्रीय नियामकों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि पारदर्शी, सुरक्षित और उपभोक्ता-केंद्रित प्रणालियों की ओर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जा सके।



(शिव भद्र सिंह)
प्रभारी सचिव